ग्राम पंचायत करवाल, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत करवाल, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पंचायत करवाल में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री सुरिंदर कुमार	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री रणवीर सिंह	01-04-2022 से 31-03-2024

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत करवाल, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01.	वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही खनन सामग्री का अनियमित क्रय/ भुगतान करने बारे।	8.1	₹1.29
02.	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	8.2	₹0.08
03.	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय बारे।	9.1	₹1.97
04.	बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान बारे।	9.2	₹7.01
05.	प्रधान सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना भुगतान करने बारे।	9.3	₹7.01

(घ) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत करवाल का अंकेक्षण, अवधि 04/2018 से 03/2022 के लिये किया गया था जिसमें सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2025/02 दिनांक 15-02-2025 द्वारा सचिव को स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव ने बताया कि, गत प्रतिवेदनों में शामिल पैरों का निपटारा कर लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। गत अंकेक्षण पैरों पर कोई भी कार्रवाई न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है, अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2018 से 03/2020 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	5.1	अनिर्णीत	-

2.	5.2	अनिर्णीत	-
3.	6.1	अनिर्णीत	-
4.	6.2	अनिर्णीत	-
5.	07	अनिर्णीत	-
6.	08	अनिर्णीत	-
7.	09	अनिर्णीत	-
8.	10	अनिर्णीत	-
9.	11	अनिर्णीत	-
10.	12	अनिर्णीत	-
11.	13	अनिर्णीत	-
12.	14	अनिर्णीत	-
13.	15	अनिर्णीत	-
14.	16	अनिर्णीत	-

2. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	03	अनिर्णीत	-
2.	4.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	4.2	अनिर्णीत	-
4.	05	अनिर्णीत	-
5.	06	अनिर्णीत	-
6.	07	अनिर्णीत	-
7.	8(i)(ii)	अनिर्णीत	-
8.	09	अनिर्णीत	-
9.	10	अनिर्णीत	-
10.	11	अनिर्णीत	-

11.	12	अनिर्णीत	-
12.	13	अनिर्णीत	-
13.	14	अनिर्णीत	-
14.	15	अनिर्णीत	-
15.	16	अनिर्णीत	-
16.	17	अनिर्णीत	-
17.	18	अनिर्णीत	-
18.	19	अनिर्णीत	-
19.	20	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।

भाग- दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत करवाल, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15-02-2025 से 21-02-2025 तक ग्राम पंचायत करवाल के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	08/2022	05/2022
2.	2023-2024	03/2024	06/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत करवाल, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/13 दिनांक 21-02-2025 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत करवाल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान ग्राम पंचायत करवाल के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

1. स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	कुल प्राप्ति	कुल योग	कुल व्यय	अंतिम शेष
2022-23	**163221.00**	**91817.90**	**255038.90**	**51620.47**	**203418.43**
2023-24	**203418.43**	**55983.00**	**259401.43**	**35465.00**	**223936.43**

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	कुल प्राप्ति	कुल योग	कुल व्यय	अंतिम शेष
2022-23	**1585236.00**	**9127124.82**	**10712360.82**	**9462029.82**	**1250331.0**
2023-24	**1250331.00**	**12290687.60**	**13541018.60**	**11925749.60**	**1615269.0**

कुल योग (1+2) **₹223936.43 + ₹1615269.00 = ₹1839205.43**

(ब) ग्राम पचांयत करवाल, का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण।

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15TH FC	20220100067	HPSCB SUNDLA	**1237181.00**
2.	IWMP	99038100050317	HPGB SUNDLA	**0.00**
3.	14th FC	99031700019416	HPGB SUNDLA	**0.00**
4.	Own Source,5th SFC,SDP VKVNY,BASP,SBM ,SCSP	18910103729	HPSCB SALOONI	**349935.75**
			CASH IN HAND	**0.00**
			TOTAL	**1587116.75**

अन्तर (अ-ब) ₹1839205.43 - ₹1587116.75 = ₹252088.68

4.2 वित्तीय वर्ष 2023-2024 के 15वें वित्तायोग का अंकेक्षण तथा इससे सम्बन्धित पैरों का प्रारूपण ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹2.52 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत करवाल, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3)** व **15(10)(ख)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹252088.68 का अन्तर बैंक पासबुक में कम शेष के रूप में पाया गया। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4.1 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 20-02-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5.2 रोकड़ बहियों के रख-रखाव/संधारण में पाई गई अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है तथा निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास हि० प्र० के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-75 दिनांक 24-01-2018 के अंतर्गत समस्त PRIs (पंचायती राज संस्थाओं) को लेखों का रख-रखाव मार्च, 2018 के बाद ऑनलाइन माध्यम में किया जाना अनिवार्य किया गया था।

ग्राम पंचायत करवाल के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा स्व:-स्त्रोत,5वां वित्तायोग, SDP,BASP,SBM,SCSP,VKVNY तथा IWMP व 14th FC की केवल मैनुयल संधारित रोकड़ बही को ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। जबकि विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 से समस्त अनुदानों हेतु रोकड़ बहियों का संधारण e-ग्राम स्वराज में ही किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़ बही का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमें न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट 1 व 2** में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित नहीं किया जा सका।

ऐसी स्थिति में बैंक से किंये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी

विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-10 दिनांक 20-02-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि, सामान्य रोकड़बही ऑनलाइन अपूर्ण होने के कारण यह मेनुअल संधारित की जा रही है भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं है अत: उक्त मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.3 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं। अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों 5th SFC, SDP,BASP,SBM,SCSP व VKVNY के साथ एक बैंक खाता एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 20-02-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹16.15 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹1615269 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान

व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

उक्त राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 20-02-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.22 लाख की वसूली न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत करवाल के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न राशि ₹21600 वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय-वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल प्राप्त राशि	वकाया राशि
2022-23	57290	450	20	9000	66290	43240	23050
2023-24	23050	480	20	9600	32650	11050	21600

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 21-02-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 मोबाइल टावरों की पूर्व अवधि की नवीनीकरण शुल्क बकाया राशि ₹0.14 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी०सी०एच०-एच०(2)8/99 दिनांक 20-03-2017 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए राशि ₹10000/- आवेदन शुल्क (स्थापना शुल्क) व राशि ₹5000/- वार्षिक नवीनीकरण शुल्क निर्धारित की गयी है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक निम्नविवरणानुसार सभी मोबाइल टावरों की वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के रूप में राशि ₹14000/- वसूली हेतु शेष थी।

क्र० स०	**वित्तीय वर्ष**	**अथशेष**	**टावरों की संख्या**	**नवीनीकरण शुल्क/प्रति टावर/वर्ष**	**वर्ष के दौरान माँग**	**कुल योग**	**वर्ष के दौरान वसूली**	**वसूली हेतु बकाया**
1.	2022-23	24000	02	0	24000	24000	0	24000
2.	2023-24	24000	02	0	24000	24000	10000	14000

नोट : मोबाइल टावर फीस की उक्त बकाया राशि हि०प्र० सरकार की अधिसूचना 885 दिनांक 13-05-2022 के पूर्व की है तथा वर्तमान में उक्त अधिसूचना के अनुसार पंचायत की अपनी निजी भूमि पर कोई मोबाइल टावर नहीं है इसलिये मांग शुन्य दर्शायी गई है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 21-02-2025 के प्रत्युतर में सचिव, द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, बकाया राशि की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी। उतर पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है। जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः पूर्व अवधि की मोबाइल टावरों की

बकाया राशि को शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके सम्बंधित खाते में जमा करवा दिया जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना:-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्नविवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹6400/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के बैंक खाते में रखा गया था जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL Rate		राशि	BPL Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without LateFee	With LateFee		Without Late Fee	With Late Fee		
2022-23	26	16@200	01@400	3600	06@25	03@50	300	3900
2023-24	19	09@200	01@400	2200	06@25	03@50	300	2500
कुल योग	**45**	**25@200**	**02@400**	**5800**	**12@25**	**06@50**	**600**	**6400**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-12 दिनांक 21-02-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क को पंचायत के बैंक खाते में रखा गया है इसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा। अत: उक्त राशि की वसूली उपरान्त सरकारी राजकोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये।

भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 आपूर्तिकर्ताओं/वेडरों से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही राशि ₹1.29 लाख की खनन सामग्री का अनियमित क्रय/भुगतान करने बारे :-

हि० प्र० माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी कांट्रेक्टर/वेंडर द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फॉर्म W या X प्रस्तुत करना अनिवार्य था अन्यथा आपूर्तिकर्ता से रॉयल्टी की वसूली 25 % पेनल्टी के साथ की जानी प्रावधित की गया थी। परन्तु निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 20-11-2023 के अनुसार माननीय हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के आदेश CWP No. 868 of 2023 की अनुपालना में किसी कांट्रेक्टर से खनन सामग्री की आपूर्ति/क्रय पर वैध ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) उपलब्ध करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अनिवार्य था।

परन्तु ग्राम पंचायत करवाल के चयनित माहों के अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि, पंचायत द्वारा वेंडरों/ठेकेदारों से निम्नविवरणानुसार राशि ₹128950 की खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति बिना W,X-फॉर्म प्राप्त किये ही ली गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त राशि का अनियमित भुगतान किया गया जोकि उक्त आदेशों/नियमों की पूर्णत: अवहेलना है।

Sr.	Detail Of Vender/	Grants	Voucher/	Name of	Amount
No.	Supplier	Head	Date	Material	Paid
1	Sh.Surinder Thakur Tras.	MGREGA	NIL/	Sand	71890.00
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022		
2.	Sh.Gyaso Ram s/o Jaidyal	MGREGA	NIL/	Sand	47310.00
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022		
3.	Sh. Chaman Singh	VKVNY	04/	Agg.	9750.00
	Tehsil Salooni, Chamba		31-05-2022		
				TOTAL	**128950.00**

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 20-02-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, किसी भी आपूर्तिकर्ता के पास W, X फॉर्म उपलब्ध न होने के कारण पंचायत द्वारा भुगतान किया गया लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अभिलेखों के अवलोकन व प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि, ग्राम पंचायत में निष्पादित कार्यों हेतु क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्त्रोत की वैधता सुनिश्चित किये बिना ही भुगतान किया गया। जोकि उक्त आदेशों व नियमों के प्रतिकूल है। चूँकि बिना W, X फॉर्म के क्रय से यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वेंडर, जिससे क्रय किया गया वह खनन सामग्री के विक्रय हेतु अधिकृत था अथवा नहीं जिससे अवैध खनन के साथ-साथ खनन सामग्री पर सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व GST, रॉयलटी की वित्तीय हानि की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: उक्त अनिमितिता को समर्थित अभिलेखों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.08 लाख की वित्तीय हानि बारे :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (C,I) एवं GST वस्तु व सेवा कर अधिनियम 2017 के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत करवाल के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संलग्न **परिशिष्ट "5"** के अनुसार राशि ₹423225/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जिससे आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना हुई जिसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व के तौर पर राशि ₹8465/- (2%) की वित्तीय हानि आहरण व संवितरण अधिकारी के कारण हुई है।

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 20-02-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में टी.डी.एस की कटौती किये बिना किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा आयकर अधिनियमों के तहत आहरण व संवितरण अधिकारी से उक्त राशि की वसूली व्याज सहित करके तुरंत सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाये इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों में अपने स्तर पर गणना करके राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

8.3 कनिष्ट अभियंता स्तर पर निष्पादित निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि प्रस्तुत न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की चयनित माहों की लेखा परीक्षा के दौरान निम्नविवरणानुसार राशि ₹850000 के ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका, FRC व प्रपत्र-34 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता, प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

Sr.no/Grant	**Name of Work Detail**	**Sanction Amount**
1. MGNREGA	C/o Road Side land slide Protection work Lamhala to Ichhalei	500000

2.MGNREGA	C/o Pucca Path Ichhalei to Guwadi Bada Khumba	350000
	TOTAL	₹850000

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 20-02-2025 के प्रत्युत्तर में कहा कि, उक्त समस्त अभिलेख कनिष्ठ अभियंता के पास पड़े हैं। अंकेक्षण बारे उने सूचित कर दिया गया था परन्तु न तो उन्होने अभिलेख पंचायत को प्रेषित किये और न ही वे स्वयं उपस्थित हुए जिससे उक्त वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है चूँकि उक्त कर्मचारियों द्वारा करवाये गए कार्यों के अभिलेखों का पंचायत में उपलब्ध न करवाना आपत्तिजनक है। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध न करवाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित ठहराया जाये तथा मामले में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.1 विहित औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹1.97 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त,बजट,लेखे,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 67(4) 67(3)(b) तथा 67(5)(a)(b) के प्रावधानों के अनुसार स्टॉक/स्टोर का क्रय हेतु विहित औपचारिकतायें यथा कुटेशन/टेंडर आमंत्रित करना, उप-समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के व्यय चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार संविदाकार से JCB कटिंग का कार्य करवाया अनुसार राशि ₹197500 के JCB कटिंग का कार्य उक्त विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमानुसार न होने के दृष्टिगत उचित प्रतीत नहीं होता है।

Sr. No.	Detail of Vender/ Supplier	Grants/ Head	Voucher/ Date	Name Of Material	Amount Paid
1	M/S Vikram Singh Tehsil Salooni, Chamba	15th FC	01/ 12-05-2022	JCB Cutting	197500.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 20-02-2025 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि,भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है।

प्रस्तुत अभिलेखों व दिये गए उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि, ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया। जोकि न केवल वित्तीय नियमों की अनदेखी है अपितु बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ न मिलने के कारण सरकारी धन का भी सम्भावित अपव्यय हुआ है। अत: उक्त अनियमितता को तथ्यों व समर्थित अभिलेखों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.2 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹7.01 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित क्रय व भुगतान करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकंर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 46(2) के अनुसार वाउचर का पूर्ण व विश्वसनीय साक्ष्य होना व नियम 47 तहत सभी दावे बिलों पर तथा नियम 48 के अनुसार सभी बिल प्रथमत: बिल रजिस्टर में प्रविष्टि उपरान्त अदायगी हेतु पारित किये जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत करवाल के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "3"** के अनुसार राशि ₹701409 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों के क्रय की एवज में किया गया परन्तु बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर केवल कैश मैमों, परफोर्मा बिल व सादे कागज हैं। इसके अतिरिक्त उक्त वेंडरों की GST पंजीकरण प्रतिलिपि भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कि यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उक्त विक्रेता GST धारक है या नहीं ? जिससे कि, इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-04 दिनांक 20-02-2025 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त बताया कि, जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं को कैश मैमों , परफोर्मा बिलों,

सादे कागज पर रसीद सहित इत्यादि पर ही भुगतान किया गया है। भविष्य में केवल GST पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से ही स्टोर/स्टॉक का क्रय किये जायेगा तथा टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं हैं।

प्रस्तुत उत्तर व बिलों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अधिकतर भुगतान कैश मैमों, परफोर्मा बिलों व सादे कागज़ पर ही किये गये हैं। टैक्स बिलों व मनरेगा के तहत GST धारकों से क्रय न करने की कारण क्रय सामग्री पर सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व GST इत्यादि की वित्तीय हानि की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता। अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.3 सयुंक हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹07.01 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही (संलग्न **परिशिष्ट "4")** राशि ₹701409/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के दुर्विनियोजन की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 20-02-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, भविष्य में नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.4 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमिततायें एवं मनरेगा रोकड़ बही को प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षों 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान क्रय राशि 3056824.26 के स्टोर/स्टॉक को ऑनलाइन रजिस्टर में तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन व कार्य में किसी प्रकार के अनाधिकृत समायोजन प्रविष्टि की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 21-02-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, मनरेगा अनुदान मटेरियल व वर्क रजिस्टर को भविष्य में पूर्ण रूप से भरा जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.5 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना :-

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्ही को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 21-02-2025 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: FTOs का पंचायत में न पाया जाना

उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

10.1 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत करवाल के चयनित माहों के अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट,बैंक बेलेंस सर्टिफिकेट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 20-02-2025 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि, उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.2 ग्राम पंचायत द्वारा महत्वपूर्ण रजिस्टरों अभिलेखों का रख-रखाव/संधारण न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **<u>नियम 29 से 31</u>** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **<u>नियम 34</u>** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों को अंकेक्षण दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 15-02-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि, निम्न तालिका अनुसार कुछ रजिस्टरों/अभिलेखों का संधारण नहीं किया जा रहा है तथा कुछ का अपूर्ण है।

क्र०	रजिस्टरअभिलेख/	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	(1)15	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	(1)61	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	(4)29	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	(1)95	संधारित नहीं
8.	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72 (1) (d)	संधारित नहीं
9.	बिल रजिस्टर	13	48	संधारित नहीं
10.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों का रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं
11.	e-ग्राम swaraaj संधारित रोकड़बहियाँ	-	-	अपूर्ण

ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्णित अधिकतर अभिलेखों को संधारित न करना व कुच्छ का अपूर्ण पाया जाना नियमानुसार अनुचित है। उक्त अभिलेखों का संधारण न किया जाना संदिग्ध व आपत्तिजनक है। अभिलेख विशेषकर बिल रजिस्टर, स्टोर/स्टॉक रजिस्टर व मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना न केवल प्रक्रियात्मक चूक है अपितु इनके अभाव में किसी वित्तीय अनियमिता की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **<u>नियम 73</u>** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत करवाल की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया । जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता । समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता । यह एक गम्भीर अनियमितता है ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 20-02-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा । उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये ।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है । अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया ।

13. निष्कर्ष :- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति

की जा रही है। जिससे न केवल नियमों की अवहेलना की गई है अपितु इससे किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितता की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अतः मामला विशेष तौर पर उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ प्रेषित है।

03.4.25
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

03 APR 2025
1939–1943

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच(पंच) 15(7)56 / 2021 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत करवाल, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

03 APR 2025

03.4.25
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Karwal for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	163221.00	91817.90	255038.90	51620.47	203418.43
2023-24	203418.43	55983.00	259401.43	35465.00	223936.43

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1585236.00	9127124.82	10712360.82	9462029.82	1250331.00
2023-24	1250331.00	12290687.60	13541018.60	11925749.60	1615269.00

1839205.43

It is certified that GP Karwal has Five cash books out of which 1st SF,SDP VKVNY, BASP,SBM,SCSP, 5TH SFC In Single Offline/Manual Cash,2nd IWMP 3rd 14th FC as Offline Cash Books and 4th 15th FC Online/e-gram Swaraaj and 5th MGREGA Online

1+2 (223936.43+1615269.00)	Closing Balance as per Cash Books	1839205.43
	Closing Balance as per Bank Passbook	1587116.75
Difference	(Less in Bank Pass books)	252088.68

Financial Position Grants in Aids of GP Karwal for the Year to 2022-2023 To 2023-2024							
Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	6913370.92	6913370.92	6913370.92	0.00
		2023-24	0.00	10614032.60	10614032.60	10614032.60	0.00
2	15TH FC	2022-23	1425940.00	1504070.00	2930010.00	1677927.00	1252083.00
		2023-24	1252083.00	835466.00	2087549.00	599933.00	1487616.00
3	SDP	2022-23	0.00	125000.00	125000.00	124567.00	433.00
		2023-24	433.00	125000.00	125433.00	125433.00	0.00
4	VKVNY	2022-23	737.00	300000.00	300737.00	300000.00	737.00
		2023-24	737.00	149000.00	149737.00	148110.00	1627.00
5	SBM	2022-23	76000.00	0.00	76000.00	76000.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	5th SFC	2022-23	55798.00	284140.00	339938.00	331060.00	8878.00
		2023-24	8878.00	567189.00	576067.00	438241.00	137826.00
7	BASP	2022-23	-13476.00	0.00	-13476.00	0.00	-13476.00
		2023-24	-13476.00	0.00	-13476.00	0.00	-13476.00
8	SCSP	2022-23	1676.00	0.00	1676.00	0.00	1676.00
		2023-24	1676.00	0.00	1676.00	0.00	1676.00
9	IWMP	2022-23	38480.00	468.00	38948.00	38948.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	14th FC	2022-23	81.00	75.90	156.90	156.90	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1585236.00	9127124.82	10712360.82	9462029.82	1250331.00
			1250331.00	12290687.60	13541018.60	11925749.60	1615269.00

Annexure "3" Payment made without Proper/Tax Bill in R/o GP Karwal Development Block Salooni Distt. Chamba (H.P.)

SR.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	Remarks
1	Sh.Surinder Thakur Trans.	MGREGA	NIL/	Carrige of Sand	42680.00	Goods receipts/
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Cement	9680.00	Performa Bill
2	Sh. Madan Singh Resi.of	MGREGA	NIL/	Skilled labour	18240.00	Plain Paper Along
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Cement Carrige	17425.00	with Receiving (APR)
3	Sh.Surinder Thakur Trans.	MGREGA	NIL/	Sand, Stone, tiles		do
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	& Cement Carrige	66270.00	do
4	Sh.Gyaso Ram s/o Jai Dyal	MGREGA	NIL/	Sand, cement,pipe	17415.00	do
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	& Stone Carrige	118659.00	Goods receipts/
5	M/S Vikram Singh,Andral	15th FC	01/	JCB Cutting		Performa Bill
	Tehsil Salooni, Chamba		12-05-2022		197500.00	do
6	M/S Pawan Const. Works	15th FC	06/	60 mm Interocking		do
	Tehsil Salooni, Chamba		29-05-2022	Tiles	50040.00	do
7	M/S Mukesh Hardware	VKVNY	02/	Steel, Wire etc.		do
	Tehsil Salooni, Chamba		22-05-2022		55500.00	do
8	M/S Arun Kumar Chahuan	MGREGA	01/	JCB Cutting		do
	PO Thakri Matti, Chamba		30-03-2024		108000.00	do
				TOTAL	**701409.00**	

Annexure "4" Payment made without Pass Order and Joint Signature in R/o GP Karwal Development Block Salooni Distt. Chamba (H.P.)

NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID
1	Sh.Surinder Thakur Trans.	MGREGA	NIL/	Carrige of Sand	42680.00
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Cement	9680.00
2	Sh. Madan Singh Resi.of Kahala	MGREGA	NIL/	Skilled labour	18240.00
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Cement Carrige	17425.00
3	Sh.Surinder Thakur Trans.	MGREGA	NIL/	Sand, Stone, tiles	
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	& Cement Carrige	66270.00
4	Sh.Gyaso Ram s/o Jai Dyal	MGREGA	NIL/	Sand, cement,pipe	17415.00
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	& Stone Carrige	118659.00
5	M/S Vikram Singh,Andral	15th FC	01/	JCB Cutting	
	Tehsil Salooni, Chamba		12-05-2022		197500.00
6	M/S Pawan Const. Works	15th FC	06/	60 mm Interocking	
	Tehsil Salooni, Chamba		29-05-2022	Tiles	50040.00
7	M/S Mukesh Hardware	VKVNY	02/	Steel, Wire etc.	
	Tehsil Salooni, Chamba		22-05-2022		55500.00
8	M/S Arun Kumar Chahuan	MGREGA	01/	JCB Cutting	
	PO Thakri Matti, Chamba		30-03-2024		108000.00
				TOTAL	**701409.00**

Annexure "5" Refferred in Para number 8.2

Statement Showing Detail of Payment TDS Not Deducted in r/o Gram Panchayat Karwal, Chamba H.P.

Sr. No.	Voucher No./ Date	Bill No./ Date	Name of Fund	Detail of Suppliers	Service & Materail Detail	Amount	TDS @2 %	Applicable Act & Section
1	Nil/ 23-05-2022	05/ 18-11-2021	MGNREGA	Sh. Surinder Thakur Village Ichhlei, PO Pantah Tehsil Salooni Chamba	Sand & Cement Carrige	33010.00	660.20	IT Act 1961 Section 194 C
2	Nil/ 23-05-2022	44/ 30-10-2021	MGNREGA	Sh. Gyaso Ram Vill. Karwal ,PO Athed Teh. Salooni	Sand, PVC Pipe & Cement Carrige	36155.00	723.10	do
3	Nil/ 23-05-2022	23/ 10-09-2021	MGNREGA	Sh. Gyaso Ram Vill. Karwal ,PO Athed Teh. Salooni	Stone Carrige	48560.00	971.20	do
4	01/ 12-05-2022	107 TO 110/ 10-10-2021	15th FC	M/S Vikram Singh PO Andral The. Salooni	Hiring Charges of JCB Cutting	197500.00	3950.00	IT Act 1961 Section 194 I
5	01/ 30-03-2024	13/ NIL	MGNREGA	M/S Arun Chauhan PO ThakriMatti, Chamba	Hiring Charges of JCB Cutting	108000.00	2160.00	do
					TOTAL	**423225.00**	**8464.50**	

27